FORM No. III

APP-A
Crime-I

फर्द अहकाम

(नियम 26)

सहायक कलक्टर
सूरजगढ़

मुकाम .....

अभियोगी
बनाम नारायण पुत्र घनश्याम जाट कौम किसान कुण्डाला तह० सीकर

रा० अ० फौ० 212 दा० फौ० नं० 127 सन् 2012

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24/9/12 वकील अभियोगी ने उपस्थित होकर राजीनामे अभियोग पत्र प्रस्तुत किया जिसे दर्ज रजिस्टर किया जावे। वकील अभियोगी के अधिवक्ता श्री कहना को पढ़कर सुनाया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध रेकर्ड एवं अभियोगी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुसार अभियोगी निर्विवादित इस आशय की जाती की जाती है कि मौजा कुण्डाला के खेत नम्बर 379 रकबा 19-03 बी०, 426 रकबा 31 बी०, 427 रकबा 37-11 बी०, नम्बर 212 रकबा 10-5 बी०, 258 रकबा 80-10 बी०, 424 रकबा 177-9 बी०, 425 रकबा 30 बी०, नम्बर 486 रकबा 17-13 बी०, 487 रकबा 15 बी०, 488 रकबा 15 बिस्वा जमीनी, 490 रकबा 48 बी०, 377 रकबा 11-2 बी०, 426/2 रकबा 12 बी०, 937/426/2 रकबा 01 बीघा 426 रकबा 40-10 बी० आदि अभियोगी के पुश्तैनी खातेदारी के खेत हैं जिनमें एक हिस्सा निहित करता हूँ। अभियोगी के बच्चे भी अधिक रहते, बेचान नहीं करते, राजीनामे के अर्थ एवं भाव की समस्त समझ रखते हुए अपने बयान में अस्वीकार नहीं करने हेतु अभियोगी को आगामी पेशी तक ही पाबन्द किया जाता है। अभियोगी को जरिये कमान के तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 23/10/12 को पेश हो।	
	सहायक कलक्टर सूरजगढ़
3/10/12	अभियोगी को 1 कमान जारी की गई।
19/11/12	
19/11/12	
	17/12/12

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
5/6/[illegible]	पक्षकारान [illegible] 22/11/21
25/5	उभयपक्षकारान [illegible] को उपस्थित [illegible] हेतु लोक अदालत में रेफर [illegible] प्रकरण दोनों पक्ष सहमत है [illegible] लोक अदालत में रेफर किया जाता है पक्षकारान दि. 15/4/22 को लोक अदालत में उपस्थित [illegible] लोक अदालत खींवसर
15/4/22	उक्त प्रकरण आज राजस्व [illegible] प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 [illegible] ग्राम पंचायत [illegible] उपस्थित पक्षकारान [illegible] कराया [illegible] सहमति नहीं हो पाई। [illegible] न्यायालय में दिनांक 27/7/22 को भेजा। [illegible] अधिकारी उपखण्ड अधिकारी खींवसर
27/7/22	पक्षकारान के [illegible] 8/6/22
8/6/22	पत्रावली पेश हुई। [illegible] में। [illegible] मामी [illegible] 13/9/22
13/9/22	पत्रावली पेश। वकील प्रतिवादी एवं प्रतिवादी को बार-बार आवाज दी गयी मगर हाजिर, बार-बार आवाज देने

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म में ज
के पश्चात भी कोई भी प्रतिवादीगण उपस्थित नहीं हुआ, गैर हाजिर। अतः उक्त प्रा. पत्र U/S 212 सा Act को अदम हाजिरी - अदम पैरवी कर प्रतिवादी काउण्टर क्लेम से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नस्ती रूम होवे, बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) खींवसर	